

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

महिला एवं बाल विकास विभाग

2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ16(1)() / सामान्य / विविध / आईसीडीएस / 16 / 87906

जयपुर, दिनांक :
5.7.16

आदेश

विभाग द्वारा आगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भ किये गये "ऑगनबाडी चलो अभियान" एवं तत्संबंधित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के संपादन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत समस्त उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ16(1)() / सामान्य / विविध / आईसीडीएस / 16 / 87907-944 जयपुर, दिनांक 5.7.16

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. आदेश पत्रावली।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर